A054-20222023-004-54-2002-099-1-2021

संख्या-01/2023/4167/58-1-2022-2/1(26)12

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वितीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-958/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 4139.82 लाख (रू0 इकतालीस करोड़ उन्तालिस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08 नवम्बर, 2022 व शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31/2022/बी-2-325/दस-2022-244/2022, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

4. प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश की होगी।

7. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

8. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

9. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

14. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

15. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, आईसीडीएस का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

17. योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

18. प्रश्नगत योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19. प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से विगत वर्षों में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध होने के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस स्वस्तर से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

20. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। निर्माण कार्य की कार्यवाही शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 व शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12, दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

18. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

21. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

22. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

23. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

24. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।

25. प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा। योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

26. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

27. प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,39,82,000 (रुपये इकतालीस करोड़ उनतालीस लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021028903 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-340-X-2022-23, दिनांक- 26 दिसंबर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2023/4167(1)/004-54-2002-099-1-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।